

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक (राजस्थान)।

क्रमांक :- 1547

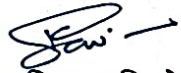
दिनांक :- 3/11/25

॥ संशोधित कार्यालय आदेश ॥

मुझ कमल सोनी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12 सपडित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1520 दिनांक 30.10.2025 जारी कर आदेश में रिमाण्ड इयूटी के अतिरिक्त प्रोटोकॉल इयूटी सारणी संख्या-2 के मुताबिक लगायी गयी थी किन्तु आज दिनांक 03.11.2025 को दिनांक 09.11.2025 हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति महोदय श्रीमान समीर जैन साहब का मालपुरा यात्रा कार्यक्रम प्राप्त हुआ है इसलिए इन बदली हुई परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उपर्युक्त जारी आदेश में सारणी संख्या-2 में आंशिक संशोधन आदेश में प्रोटोकॉल इयूटी हेतु निम्न प्रकार से किया जाता है जिसमें कॉलम संख्या 2 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी, जिनका नाम कॉलम संख्या 3 में अंकित है, कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक को प्रोटोकॉल इयूटी करने के लिए संशोधित आदेश के माध्यम से मैं उपर्युक्त प्रावधानों की रोशनी में अधिकृत करता हूँ। तथा माह नवंबर -2025 की रिमाण्ड इयूटी व प्रोटोकॉल इयूटी के संबंध में शेष आदेशों के लिए पूर्व में पारित आदेश यथावत प्रभावी रहेगा।

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	पीठासीन अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	दिनांक
1	2	3	4	5
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, मालपुरा	धर्मेन्द्र कुमार शर्मा	8302657251	09/11/25
2.	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनियारा	डॉ. सुरभि सिंह	9414782822	22/11/25

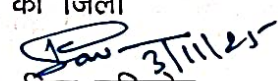
उक्त इयूटी चार्ट में अंकित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रोटोकॉल इयूटी में नियत समय पर उपस्थित रहें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)
दिनांक :- 3/11/25

क्रमांक :- 1548-53

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोंक।
2. न्यायिक मजिस्ट्रेट मालपुरा।
3. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उनियारा।
4. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोंक।
5. पुलिस कंट्रोल रूम, टोंक।
6. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर लेख है कि वे उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड करें।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
टोंक (राजस्थान)